

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

**FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business
and Regulatory Framework**

**वस्तु-विक्रय अधिनियम, 1930 (Sale of goods act,
1930)**

**विक्रय अनुबन्ध की परिभाषा (Definition of contract
of sale) - वस्तु विक्रय अनुबन्ध अधिनियम की धारा
4(1) के अनुसार, “विक्रय अनुबन्ध है जिसके द्वारा
विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले क्रेता को, माल का
स्वामित्व हस्तांतरित करता है अथवा हस्तांतरण करने का
ठहराव करता है ।**

विक्रय अनुबन्ध के आवश्यक लक्षण

(Characteristics of a Contract of Sale of Goods)

वस्तु विक्रय अनुबन्ध का विश्लेषण करने से पता चलता है कि विक्रय अनुबन्ध के निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षण हैं -

1, क्रेता तथा विक्रेता का होना (Existence of Purchaser and Seller) - अन्य अनुबन्धों की भाँति विक्रय अनुबन्धों में भी दो पक्षकार होते हैं। विक्रय अनुबन्धों में ये पक्षकार क्रेता अथवा विक्रेता दो अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिये, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं अपना माल नहीं खरीद सकता।

2, वस्तु या माल को होना (Existence of Goods) - वस्तु-विक्रय अनुबन्ध की विषय-वस्तु 'माल' या 'वस्तु'

होती है | 'माल' या 'वस्तु' में प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति शामिल की जाती है |

3, मूल्य (Price) - माल का विक्रय मूल्य के बदले किया जाता है | मूल्य का आशय मद्रिक प्रतिफल से है | यदि मूल्य मुद्रा में प्राप्त न होकर किसी अन्य वस्तु के रूप में प्राप्त होता है तो उसे 'विक्रय' न होकर 'वस्तु विक्रय' कहेंगे | परन्तु अशंत: मुद्रा और अशंत वस्तु से वस्तु बदलना विक्रय माला जा सकता है |

4, स्वामित्व का हस्तान्तरण (Transfer of Ownership) - वस्तु विक्रय अनुबन्ध में विक्रेता द्वारा माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण क्रेता को आशय किया जाना चाहिये | हाँ, माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण तुरन्त किया जा सकता है अथवा भविष्य में करने का वचन दिया जा सकता है |

5, वैध अनुबन्ध के लक्षण (Essentials of a valid constant) - वैध वस्तु विक्रय अनुबन्ध में उन सभी लक्षणों का होना आवश्यक है जो की एक साधारण वैध अनुबन्ध के लिये आवश्यक है ।

6, विक्रय अनुबन्ध पूर्ण अथवा शर्तयुक्त होना (Constant of sale being absolute or conditional) - विक्रय अनुबन्ध पूर्ण हो सकता है अथवा शर्तयुक्त हो सकता है ।

7, स्पष्ट अथवा गर्भित (Express or Implied) - वस्तु विक्रय अनुबन्ध स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकता है । स्पष्ट अनुबन्ध मौखिक अथवा लिखित हो सकता है । इसके विपरीत गर्भित अनुबन्धो पक्षकारो के आचरण में गर्भित हो सकता है ।

❖ विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में अन्तर

(Distinction Between sale and agreements to sell)

अन्तर का आधार विक्रय(sales)

विक्रय का ठहराव(agreement to sell)

1, निष्पादन

विक्रय एक निष्पादित अनुबन्ध होता है अर्थात् विक्रय-अनुबन्ध में निष्पादन पूर्ण हो जाता है | जबकि विक्रय ठहराव में निष्पादन भविष्य में होता है, अर्थात् यह एक निष्पादनीय अनुबन्ध है |

2, स्वमित्व का हस्तान्तरण

विक्रय अनुबन्ध होते ही माल का स्वमित्व विक्रेता से क्रेता के पास चला जाता है जबकि विक्रय ठहराव में माल का स्वमित्व एक निश्चित अवधि के उपरान्त अथवा

निश्चित शर्तों के पूर्ण होने पर ही विक्रेता से क्रेता को हस्तान्तरित होता है ।

3, मूल्य के लिये वाद

यदि क्रेता माल का मूल्य चुकाने में त्रुटि करता है तो विक्रेता मूल्य के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है । जबकि विक्रय ठहराव में क्रेता का माल को सुपुर्दगी न लेने पर अथवा माल का मूल्य न चुकाने पर, विक्रेता केवल हर्जाने के लिये ही वाद प्रस्तुत कर सकता है, मूल्य के लिये नहीं ।

4, जौखिम

विक्रय में माल की क्षति या जौखिम क्रेता पर ही होती है, चाहे माल विक्रेता के पास ही क्यों न हो ।

विक्रय के ठहराव में जौखिम विक्रेता को ही सहन करनी पड़ती है चाहे माल क्रेता के पास ही क्यों न हो ।

5, अधिकारों की प्रकृति

विक्रय की दशा में क्रेता माल का सम्पूर्ण स्वमिल बन जाता है और उसे खरीदे गये माल पर स्वमित्व सम्बन्धी समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । जबकि विक्रय ठहराव में यह पारस्परिक अधिकारों की उत्पत्ति करता है । उसमें केवल क्रेता एवं विक्रेता को ही एक-दुसरे के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता है ।